न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3031 सन 2026
CNR No. UPSP 010071312026

1. शहजाद पुत्र जमील।
2. सारिक पुत्र जमील।
निवासीगण–ग्राम टिडोली, थाना नकुड, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 270/2026
धारा 318(4),338,340(2),336(2) बी0एन0एस0
नियम 58 सपठित धारा 3(1) नियम 72(6) उ0प्र0
उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021
3(2) लोक संपत्ति क्षति निवारण अधि0
व 4/21 खान व खनिज अधिनियम
थाना बेहट, जिला सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

20.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण **शहजाद एवं सारिक** की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.06.2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा रात्रि में पर्वतन कार्य किए जाने पर रात्रि के 11:35 बजे ननौली चैक पोस्ट में वाहन सं0–एचआरएस8–डी1164 की जांच किए जाने पर उक्त वाहन के चालक तसव्वर द्वारा परिवहन प्रपत्र प्रस्तुत किया गया, जो कूटरचित प्रतीत होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभागयी एम चैक एप्लिकेशन के माध्यम से वाहन में उपखनिज के परिवहन के सम्बन्धी प्रपत्रो की जांच से उक्त वाहन में कोई प्रपत्र निर्गत नही है। वाहन चालक द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन का कन्डक्टर भाग गया है। वाहन चालक तसव्वर को साथ लेकर आगे गए तो दूसरा डम्फर पंजीयन सं0–एचआर58–डी3799 सडक के किनारे खडा पाया गया, जिसका चालक एवं परिचालक मौके से फरार पाये गए तथा वाहन के अन्दर परिवहन सम्बन्धी प्रपत्रो को अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभागयी एम चैक एप्लिकेशन के माध्यम से वाहन में उपखनिज के परिवहन के सम्बन्धी प्रपत्रो की जांच से उक्त वाहन में कोई प्रपत्र निर्गत नही है। इस सम्बन्ध में थाना बेहट को सूचना देकर उक्त दोनो वाहनो एवं चालक तसव्वर को स्थानीय पुलिस के सुपुर्दगी में देने हेतु पुलिस सहायता मांगी गयी, जिसके बाद पुलिस की सहायता से उपरोक्त दोनो वाहनो को उपखनिज, सेंडस्टोन/कार्टजाईट गिट्टी बिना परिवहन प्रपत्र के अवैध रूप से लदा पाया गया। उपरोक्त दोनो वाहनो में पाये गए प्रपत्रो/सिक्योरिटी प्रपत्र की विभागीय पोर्टल के माध्यम से गहनता से जांच करने पर पाया गया कि उक्त दोनो परिवहन प्रपत्र एएयूजीजी 067034 व एएयूजीजी 067032 सीरिज के हैं, जो लेस्सी/लाईसेन्स नम्बर 31642509990002 के हैं। तथा जीएम कन्ट्क्शन प्रो0 मुकेश कुमार जनपद गौतमबुद्धनगर तहसील जेवर, ग्राम जेवर खादर को निर्गत सिक्योरिटी पेपर्स में

से हैं। जांच में यह भी तथ्य संज्ञात में आया कि सिक्योरिटी पेपर्स उक्त सीरिज कन्ट्क्शन प्रो0 मुकेश कुमार जनपद गौतमबुद्धनगर तहसील जेवर, ग्राम जेवर खादर को निर्गत है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त के वाहनो के स्वामी, चालक व परिचालक एवं स्टोन क्रेशर सिक्योरिटी पेपर होल्डर द्वारा जानबूझकर कूटरिचत तरीके से फर्जी परिवहन प्रपत्र बनाकर असली उपखनिज प्रपत्र के रूप में प्रयोग करते हुए, बिना परिवहन प्रपत्र के उपखनिज का अवैध रूप से परिवहन कर अनुचित लाभ अर्जित किया गया जा रहा, जिससे राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व को क्षति पहुंचायी जा रही है। उक्त फर्द के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 318(4), 338, 340(2), 336(2) बी0एन0एस0, नियम 58 सपठित धारा 3(1) नियम 72(6) उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021, व 3(2) लोक संपत्ति क्षति निवारण अधि0, व 4/21 खान व खनिज अधिनियम के अपराध में थाना बेहट, जिला सहारनपुर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया ।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण का उक्त घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब वास्ता नही है। प्रार्थी सारिक गाडी सं0–एचआर58–डी 3799 का चालक है तथा उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी कुरबान है, जिसने प्रार्थी सारिक को उक्त वाहन के संबंध में पॉवर अटोरनी दे रखी है। प्रार्थी द्वारा कोई फर्जी रायल्टी आदि किसी प्रकार की तैयार नही की गयी है। प्रार्थी अपनी गाडी को स्वंय चलाता है। प्रार्थी दिनांक 30.06.2026 को अपनी गाडी में सभी वैध प्रपत्रों के साथ उप खनिज भरकर ला रहा था। थाना हाजा की पुलिस व अन्य अधिकारीगण द्वारा नानौली चैक पोस्ट पर चैकिंग में प्रार्थी की गाडी रूकवायी गयी थी। गाडी रूकवाने के बाद प्रार्थी की गाडी व उप खनिज से संबन्धित सभी वैध प्रपत्र पुलिस द्वारा ले लिए गए थे, जो सही थे। प्रार्थी के द्वारा कागजात वापस मांगने पर प्रार्थी को कागजात वापस नही दिए। प्रार्थी शहजाद प्रार्थी सारिक का सगा भाई है। प्रार्थी शहजान के नाम न तो कोई गाडी है, न ही शहजाद किसी गाडी पर चालक है। शहजाद का उक्त मामले की घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब वास्ता किसी प्रकार का नही है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थीगण पूर्व सजायाफता नही है। प्रार्थीगण को पुलिस गिरफतार कर बेईज्जत करना चाहती है। प्रार्थीगण विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने का अधिकारी हैं।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर धोखाधडी करने के आशय से कूटरिचत फर्जी परिवहन प्रपत्र बनाकर उन्हें असल उपखनिज प्रपत्र के रूप में प्रयोग करते हुए, बिना परिवहन प्रपत्र के उपखनिज का अवैध रूप से परिवहन कर राज्य सरकार को राजस्व क्षति कारित करने का आक्षेप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार सहअभियुक्त तसव्वर को कूटरचित प्रपत्रो के आधार पर प्रश्नगत वाहन से अवैध खनन सामग्री का परिवहन करते समय सम्बन्धित खान अधिकारी द्वारा पकडे जाने पर सहअभियुक्त तसव्वर द्वारा प्रश्नगत वाहन के स्वामी का नाम शहजाद उर्फ जबरा व सारिक बताये जाने तथा वाहन स्वामियों द्वारा ही वाहन में लदे अवैध खनिज से सम्बन्धित प्रपत्र प्राप्त कराये के सम्बन्ध में किए गए कथन के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण का नाम इस मामले में प्रकाश में आना दर्शित है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क किया गया है कि विवेचक आवेदक/अभियुक्तगण प्रश्नगत वाहन के स्वामी है तथा उनके द्वारा ही सहअभियुक्त को प्रश्नगत वाहन में लदे अवैध खनन से सम्बन्धित प्रपत्र कूटरचित परिवहन प्रपत्र प्राप्त कराये जाने के सन्दर्भ में विवेचक द्वारा केस डायरी पर साक्ष्य संकलित किया जाना दर्शित है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा उक्त कूटरचित प्रपत्रो के आधार पर राज्य सरकार को राजस्व

हानि कारित किए जाने जैसा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। विवेचक द्वारा केस डायरी पर संकलित साक्ष्य से कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किए जाने पर उसके द्वारा साक्ष्य प्रभावित किए जाने की सम्भावना है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **शहजाद एवं सारिक** की तरफ से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थाना को प्रेषित की जाये।

दिनांक 20.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
I.D. UP-1891